समक्ष राजस्व मंडल (सदस्य) ग्वालियर

आवेदक पुनरीक्षणकर्ता :— अक्षय तिवारी नाबालिग आ0 राजेन्द्र तिवारी द्वारा संरक्षक व पिता राजेन्द्र तिवारी आ0 रामदास तिवारी, निवासी—भगत सिंह वार्ड, गोटेगांव, तहसील—गोटेगांव, जिला नरसिंहपुर (म0प्र0)

बनाम

अनावेदक :— श्रीलाल तिवारी आ0 स्व0 नन्हेलाल तिवारी, निवासी—1922, प्रेमनगर, मदनमहल, जबलपुर, (म0प्र0)

आवेदन पत्र धारा 50 म0प्र0भू0रा0संहिता 1959 के अंतर्गत

आवेदक/निगरानीकर्ता रा0 मा0 कं0 39 अ/06 वर्ष 2012—13 आदेश पारित दिनांक 31/08/13 पारित तहसीलदार गोटेगांव तहसील गोटेगांव जिला नरसिंहपुर से असंतुष्ट होकर निम्न आधारों पर पुनरीक्षण प्रस्तुत कर रहा है :—

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश–ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण कमांक – निग0 3581–एक/13 **जिला** – नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6-7-16	प्रकरण का अवलोकन किया । यह निगरानी तहसीलदार, गोटेगांव के प्र0क0 39/अ–6/2012–13 में पारित आदेश दिनांक 31–8–13 के विरूद्ध पेश की गई है । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । प्रकरण के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अनावेदक ने अपनी ओर से साक्षी के रूप में डा0 कानफोडे को प्रस्तुत करने के लिये तथा उनके कथन नागपुर जाकर कमीशन पर लिये जाने के लिये आवेदन दिया था, जिसका आधार यह था कि साक्षी डा0 कानफोडे अत्यन्त व्यस्त रहते है । अतः उनका कथन कमीशन द्वारा लिये जाने के आदेश दिये है । अनावेदक के इस आवेदन को तहसीलदार का विवादित आदेश द्वारा स्वीकार किया है, जिसके विरूद्ध यह निगरानी प्रस्तुत की गई है । आवेदक अभिभाषक का सुक्ष्म में तर्क है कि किसी भी व्यक्ति का साक्षी के रूप में कमीशन द्वारा कथन तब लिया जा सकता है जब वह व्यक्ति विधि द्वारा न्यायालय में उपस्थित होने से उन्मुक्त किया गया हो अथवा उसकी शारिरिक परिस्थिति इस लायक न हो कि वह स्वंय न्यायालय में उपस्थित हो सके । इस बिन्दु पर संहिता की अनुसूची–1 नियम 54 स्पष्ट है । अनावेदक के विद्वान अभिभाषक ने तर्क दिया गया कि अधीनस्थ न्यायालय ने जो आदेश दिया है वह उचित है । डा0 कानफोडे अपनी व्यस्तता के कारण गोटेगांव नहीं आ सकते है	प

R 3581-I/13 - नरसिंहपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	अतः उनका कथन कमीशन पर लिया जाना उचित है । 3/ मेरे द्वारा प्रकरण का अवलोकन किया गया । आवेदक ने अनुसूची–1 के नियम 54 को अपने तर्क का आधार बनाया है, जिसके विपरीत अनावेदक के अभिभाषक कोई ऐसा विधिसम्मत कारण नहीं बता सके जिसके आधार पर अधीनस्थ न्यायालय के आदेश को उचित ठहराया जा सके । उपरोक्त परिस्थिति तथा अनुसूची 1 के नियम 54 के प्रकाश में तहसीलदार का विवादित आदेश निरस्त किया जाता है । अनावेदक अपनी ओर से साक्षी के रूप में जिसको भी प्रस्तुत करना चाहते है उसके लिये वह स्वंतत्र है । उक्त आधार पर यह निगरानी स्वीकार की जाती है और तहसीलदार का आदेश दिनांक 15–7–13 निरस्त किया जाता है । उभयपक्ष सूचित हों अभिलेख वापिस हों । सदस्य	